STATE OF NORTH CAROLINA BOARD OF REVIEW

IN THE MATTER OF:

Higher Authority Decision No.



ATTN:

दावेदार नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुसार, यह कारण समीक्षा बोर्ड ("बोर्ड") के सामने (दावेदार के) (नियोक्ता) के द्वारा अपील लेबल संख्या-----के तहत अपील निर्णायक द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई अपील पर विचार करने के लिए आया था। साक्ष्यों की सुनवाई अपील निर्णायक के समक्ष-----को कर ली गई है। समय पर प्रस्तुत रिकॉर्ड साक्ष्यों और किसी भी लिखित या संक्षेप तर्क की की संपूर्णता में समीक्षा की गई है। रोजगार स्रक्षा कानून की आवश्यकता है कि विभाग इस तरह से स्नवाई आयोजित करे कि पार्टियों के बह्त जरूरी अधिकारों को सुरिक्षत रखता है। N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(c) और (f); 04 N.C. Admin. Code 24C .0209 देखें। दूसरे शब्दों में सभी पार्टियों को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और मूल रूप से उचित प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए। न्यूनतम प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के लिए सभी पक्षों को स्ने जाने का अवसर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। पक्ष सुने जाने के अधिकार का आनंद लें, इसके लिए उन्हें नोटिस दी जानी चाहिए।स्थाई कारण प्रक्रिया के लिए सभी पक्षों पर कानून के उचित और समान आवेदन करने की आवश्यकता होती है। जब दावेदार को काम से छुट्टी दे दी जाती है, तो नियोक्ता पर यह साबित करने का भार होता है, दावेदार का निष्काषन किसी ऐसे कारण के लिए था, जो दावेदार को बेरोजगारी बीमा के लिए अयोग्य ठहराएगा। Guilford Cty. बनाम Holmes, 102 N.C. App. 103, 401 S.E.2d 135 (1991); Intercraft Indus. Corp. बनाम Morrison, 305 N.C. 373, 376, 289 S.E.2d 357, 359 (1982); <u>Umstead बनाम Emp't Sec. Comm'n</u>, 75 N.C.App. 538, 331 S.E.2d 218, <u>प्रमाणपत्र अस्वीकृत</u>, 314 N.C. 67, 336 S.E.2d 405 (1985)।नियोक्ता के अन्सार दावेदार को-----के लिए नौकरी से छुट्टी दी गई है। नियोक्ता यह भी दावा करता है कि दावेदार को नौकरी से हटाए जाने के कारण का समर्थन करने वाला साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग में स्रक्षित है या था। हालांकि नियोक्ता ने इसे अपील निर्णायक और दावेदार को सुनवाई के लिए जमा नहीं की थी।

डिवीजन ने सभी पार्टियों को सभी गवाह, दस्तावेज, रिकार्डिंग और अन्य सब्तों को सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करने के दायित्व के लिए नोटिस पर रखा। प्रत्येक पक्ष को अपील और सुनवाई: स्तर 1 प्रारंभिक निर्धारण पर अपील शीर्षक वाली एक नीली पुस्तिका निर्णायक लेबल संख्या द्वारा निर्धारित की एक प्रति के साथ-------पर भेजी गयी। पुस्तिका के पैनल 5 और 6 पर निम्न भाषा थी:

सुनवाई के लिए तैयार होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ?

सुनवाई नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मामले के बारे में क्या कहा गया है, यह जानने के लिए नोटिस के साथ आए सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि सुनवाई में कौन से गवाहों को गवाही देनी चाहिए।सभी दस्तावेज, रिकार्डिंग और सब्तों को, जो आपके मामले का समर्थन करते हैं, एकत्र करें। यदि सुनवाई फोन पर आयोजित की जाएगी,

Higher Authority Decision No. पांच पृष्ठों में से दो



HOW TO GIVE EVIDENCE : शपथबद्ध गवाही आवश्यक है। यदि आप गवाहों की गवाही दिलवाना चाहते हैं, तो उन्हें सुनवाई में ऐसा करना होगा। यदि आपके पास गवाह दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक रिकार्डिंग या अन्य साक्ष्य हैं, जिन पर आप सुनवाई अधिकारी द्वारा विचार करवाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें सुनवाई अधिकारी और प्रत्येक पक्ष के पास भेजना या पहुंचाना होगा। साक्ष्य सुनवाई के पहले पहुंच जाना चाहिए।

सुनवाई की नोटिस पक्षों को यह भी सूचित करती है कि वे सुनवाई के स्थगन का अनुरोध कर सकते हैं, तथा इसकी प्रक्रिया के बारे में सूचित करती है। अच्छा कारण दिखाने और सुनवाई से पहले, नियोक्ता अपने गवाहों को सुरिक्षत करने के लिए, या उससे साक्ष्य प्राप्त करने के लिए या उन्हें जमा करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकता था। "अच्छा कारण" यथोचित परिश्रम के अभ्यास में कानूनी रूप से आवश्यक कार्य को करने में विफल रहने के लिए पर्याप्त रूप से उचित कानूनी कारण होना चाहिए। N.C. Gen. Stat. §)15-96d (1और 04N.C. Admin. Code 24A . (26)0105देखें। अच्छे कारण का अर्थ है, जागरुकता, सावधानी और बचाव और विशेष परिस्थितियों के तहत एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति द्वारा अपेक्षित अच्छे निर्णय का उपाय। 04 N.C. Admin. Code 24A . (0105(21)।

यह पूर्वगामी लिखित नोटिस से स्पष्ट है कि नियोक्ता को सभी गवाही और अन्य साक्ष्यों को साक्ष्य सुनवाई में प्रस्तुत करने के दायित्व से स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था। रिकार्डों में इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि नियोक्ता को सभी साक्ष्य या दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने से या 04 NCAC 24C .0207 के अनुसार सुनवाई को पुनर्निधारित करने की प्रार्थना करने से रोका गया ।इसलिए बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा प्रक्रियात्मक कारण प्रक्रिया की पूर्ति होती है। रिकार्डों में अपील निर्णायक द्वारा सुनवाई को पुनर्निधारित करने की प्रार्थना को मना करने के भी कोई संकेत नहीं हैं।जब रिकार्डों में कोई ऐसा सुबूत होता है, जो भौतिक मुद्दे पर निष्कर्ष का समर्थन करता है, तो बोर्ड किसी नियोक्ता को यह साबित करने के लिए अतिरिक्त अन्य साक्ष्य एकत्र करने का

अवसर नहीं दे सकता कि दावेदार को बेरोजगारी बीमा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। करने से दावेदार के उचित प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन होता है, और नियोक्ता को यह करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्राप्त होता है कि दावेदार को बेरोजगारी बीमा प्राप्त करने



एसा साबित के लिए

अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। <u>Dunlap बनाम Clarke Checks, Inc.</u>, 92 N.C. App. 581, 375 S.E.2d 171 (1989)। इसलिए बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि नियोक्ता को उचित प्रक्रियात्मक प्रक्रिया की पूर्ति की गई है। बोर्ड को इस मामले को केवल इसलिए दोबारा नहीं खोलना चाहिए कि (दावेदार) (नियोक्ता) ने गवाही या साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के अधिकार को संरक्षित नहीं किया था, या 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(26) में परिभाषित के अनुसार सुनवाई को पुनर्निधारित करने के लिए "अच्छा कारण" दिखाया है।"अच्छा कारण"

्महत्वपूर्ण - निम्न पूष्ठ देखें IMPORTANT - SEE FOLLOWING PAGE Higher Authority Decision No.

पांच पृष्ठों में से तीन



यथोचित परिश्रम के अभ्यास में कानूनी रूप से आवश्यक कार्य को करने में विफल रहने के लिए पर्याप्त रूप से उचित कानूनी कारण होना चाहिए। <u>Douglas बनाम J.C. Penney Co</u>, 67 N.C. App. 344, 313 S.E.2d 176 (1984) भी देखें।इस इस उदाहरण में बोर्ड केवल सुनवाई में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के लिए प्रतिबंधित है। <u>Patrick बनाम Cone Mills Corp.</u>, 64 N.C. App. 722, 308 S.E.2d 476 (1983).

दावेदार को बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त करने से अयोग्य साबित करने के लिए साक्ष्य के तौर पर इलेक्ट्रानिक रिकार्डिंग उपलब्ध कराने वाले पक्ष के तौर पर, नियोक्ता को साक्ष्य की प्रथम दृष्टया उपयोगिता साबित करने का भार भी वहन करना होगा। नियोक्ता के साक्षी(यों) ने रिकार्डिंग की सामग्री का वर्णन किया। रिकार्डिंग की सामग्री के विषय में गवाह की गवाही, जिसे नियोक्ता ने अपने साक्ष्य को साबित करने के लिए भरोसा किया था,दावेदार के आचरण या रिकार्डिंग की सामग्री को दिखाने के लिए "सर्वोत्तम सबूत" नहीं है, और इसका प्रयोग प्राप्त तथ्य के समर्थन के लिए तब तक उपयोग नहीं किए जा सकते, जब-तक ये सक्षम सुबूत न हो। N.C. Gen. Stat. § 96-15(i)।

North Carolina Evidence Code के उद्देश्य के लिए, "लेखन" और "रिकार्डिंग", में लेखन, टाइपराइटिंग, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी, फोटोग्राफिक, मैग्नेटिक आवेग, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग, फोटोग्राफिंग या अन्य किसी डेटा संकलन के रूप में अक्षर, शब्द, संख्याएं, और ध्वनियां आदि हो सकते हैं। "फोटोग्राफिंग" में स्टिल तस्वीरें, X-रे फिल्म, वीडियो टेप और मोशन पिक्चर्स शामिल हैं। N.C. Gen. Stat. § 8C-1, Rules 1001। N.C. Gen. Stat. § 8C-1, नियम 1002 और 1003,या "सर्वोत्तम साक्ष्य नियम" के नाम से जाने जाने वाले नियम में लेखन, रिकार्डिंग या तस्वीर की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए इसकी मूल प्रति या प्रमाणित डुप्लीकेट की आवश्यकता होती हैं। अन्य शब्दों में सर्वोत्तम साक्ष्य नियम की आवश्यकता है रिकार्डिंग के द्वितीयक साक्ष्य को उस स्थिति में बाहर रखते हैं, जब रिकार्डिंग की मूल प्रति या पार्टी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मौजूद थे या हैं। यदि दावेदार रिकार्डिंग की सामग्री के बारे में यह प्रमाणित कर देता है कि यह नियोक्ता के प्रत्यक्षदर्शी(यॉ) द्वारा दी गई गवाही के अनुसार ही है, तो नियोक्ता को रिकार्डिंग उत्पादित करने की आवश्यकता नहीं है। See N.C. Gen. Stat. § 8C-1, Rule 1007 देखें। हालांकि, इस मामले में दावेदार ने नियोक्ता द्वारा दावा की गई दोनों ही घटनाओं को अस्वीकार कर दिया गया, और रिकार्डिंग घटना के बारे में नियोक्ता के विचार को दिखाएगा, यदि नियोक्ता इसकी सामग्री को सिद्ध कर सके तो रिकार्डिंग का उत्पादन अनिवार्य है। इस मामले में, दावेदार सिहत क्या घटित हुआ, देखने के लिए रिकार्डिंग में देखे व सुने गए के बारे में केवल गवाह(हों) की गवाही पर्याप्त नहीं है, बल्क स्वयं रिकार्डिंग आवश्यक है।

बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दावों के मामले में अंतिम तक्ष्य खोजक के रूप में, बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलीय निर्णायकों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्य सक्षम प्रमाणों से समर्थित थे और उन्हे स्वयं के रूप में अपनाना गया था। बोर्ड ने यह निष्कर्ष भी निकाला है कि अपीलीय निर्णायकों ने प्राप्त तथ्यों पर रोजगार सुरक्षा कानूनों(N.C. Gen.Stat. §96-1 et seq.) को यथार्थ व सही रूप से लागू किया गया है, जैसा कि पाया गया है, और परिणामस्वरूप निर्णय कानून व तथ्यों के अनुसार था। जैसा कि नियोक्ता यह दिखाने में रहा कि दावेदार को कदाचार के लिए हटाया गया था और N.C. Gen. Stat. § 96-14.6 के लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।



निर्णायक का निर्णय (पुष्ट किया गया) (विपरीत) (संशोधित) है।

दावेदारों को बेरोजगारी बीमा के लाभों के प्रारंभ के लिए अयोग्य घोषित किया गया।

अयोग्य नहीं घोषित किया गया और बेरोजगारी

बीमा

के लाभों का प्रारंभ प्राप्त होगा।

्महत्वपूर्ण - निम्न पृष्ठ देखें IMPORTANT - SEE FOLLOWING PAGE Higher Authority Decision No. पांच पृषठों में से चार

समीक्षा समिति के सदसय Susan Doe और John Doe ने इस अपील में भाग और इस फैसले से सहमत हैं।

लिया

यह है:

Chairman

NOTE: उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय में इसकी न्यायिक समीक्षा के लिए निम्नानुसार याचिका दाखिल नहीं की गई हो। मेलिंग की तिथि इस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर दी गई है। हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता है, कृपया उच्च प्राधिकरण निर्णय पर अपील करने के लिए संलग्न पुस्तिका देखें। यह पुस्तिका पूरे राज्य में सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों और रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट WWW.des.nc.gov पर जाकर अक्सर पूंछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) के अनुभाग पर जा सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं।

APPEAL RIGHTS FOR JUDICIAL REVIEW

अपीलकर्ता द्वारा उच्च प्राधिकरण के इस निर्णय के खिलाफ अपील अपने निवास स्थान या अपने मुख्य व्यापार स्थल के क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज की जानी चाहिए। यदि पार्टी North Carolina के किसी प्रांत में निवास नहीं करती या इसका मुख्य व्यापार स्थल यहां के किसी प्रांत में नहीं है, तो अपील North Carolina के Wake County के उच्चतम न्यायालय के लिपिक या उत्तरी कैरोलीना के उस क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज करवायी जाएगी, जहां विवाद उत्पन्न हुआ था।

उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका दाखिल नहीं की गई हो।

उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज किसी भी याचिका की प्रतियां रोजगार सुरक्षा ("Division")के विभाग और सभी पक्षों के पास याचिका दाखिल होने के (10) दिनों के भीतर कार्यवाही के लिए भेज दी जानी चाहिए। याचिका की प्रतियां व्यक्तिगत सेवाओं या मेल के जिए भेजी जानी चाहिए, और वापसी रसीद प्राप्त किए जाने की प्रार्थना की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की समीक्षा के लिए आवेदित याचिकाओं को विभागीय प्रक्रिआओं के लिए पंजीकृत एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए।

John Q Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903
Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

्महत्वपूर्ण - निम्न पूष्ठ देखें IMPORTANT - SEE FOLLOWING PAGE Higher Authority Decision No. पांच पृष्ठों में से पांच



NOTE: यदि आपको किसी अन्य पार्टी द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका भेजी गई है, तो आप न्यायिक समीक्षा कार्यवाही के लिए तब तक एक पक्ष नहीं होंगे जब तक कि आप: (1) याचिका प्राप्त होने के (10) दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय को सूचित नहीं कर देते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनना चाहते हैं या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, के नियम 24, में उपलब्धता के अनुसार हस्तक्षेप के लिए एक प्रस्ताव दर्ज करें।

NOTICE TO ALL INTERESTED PARTIES

04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) (एक नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय-पक्ष की कंपनी से व्यक्तियों को शामिल करते हुए) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील के अंतरगत कार्य करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। न्यायिक कार्यवाही के कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का अनुपालन करना चाहिए।

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार जब पक्ष का एक कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को प्रदान किए जाने वाले सभी कानून जानकारी या दस्तावेज केवल कानूनी प्रतिनिधि को भेजे जाएंगे। कानूनी प्रतिनिधि को भेजी गई कोई भी जानकारी उसी बल और प्रभाव में मानी जाएगी, जैसे कि उसे सीधे पार्टी को भेजा गया हो।

30, जून या उसके बाद दर्ज किए गए दावों के लिए दावेदार अपील पर वापस ले लिए गए किसी न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाओं के प्नर्भगतान के अधीन हैं। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

SPECIAL NOTICE TO CLAIMANTS: यदि आप अंतरिनहित दावों के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा के लाभ प्राप्त कर रहे हैं या पहले से प्राप्त कर चुके हैं और इस उच्च प्राधिकरण निर्णय के नियमानुसार आप इस तरह के सभी लाभों के लिए अयोग्य पाए जाते हैं, या इन नियमों को पूरा नहीं करते, आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभों का अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यदि उच्च प्राधिकरण निर्णय से अधिक भुगतान तैयार होने पर आपको विभाग के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंत्रण अनुभाग से अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण का एक नोटिस अलग से भेज दिया जाएगा। यह नोटिस आपके ऊपर अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के अलावा आप पर लागू होने वाले अन्य किसी दंड का भी निर्धारण करेगी। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त भुगतान के खिलाफ आप एक ही रास्ता चुन सकते हैं, जो उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए North Carolina के कानूनों और ऊपर दिए गए तरीके के अनुसार एक याचिका दायर करनी है। अपनी याचिका में आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि क्या आप अपील कर रहे हैं: (1) अयोग्यता या पात्रता के लिए और/या (2) इस परिणामी निर्धारण के लिए कि आपको लाभों का अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है।

Appeal Filed:

Decision Mailed: